ISBN : 978-81951728-5-6

दलित महिलाओं के प्रति अपराध एवं कानूनी प्रावधान

डॉ. जितेन्द्र कुमार चैधरी
सहायक प्रध्यापक
समाजशास्त्र
शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दमोह (म.प्र.), भारत

सारांश

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाएँएक लम्बे काल से अपमानना यातना और शोषण का शिकार रही है, जितने काल से हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है।1जैविकीय दृष्टि से पुरूष और महिलाए समान है, फिर महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? इसके पीछे कई कारक हैं। मैत्रेयी चैधरी कहती है कि भारत में महिलाओं की जो पद दलित स्थिति है उसके पीछे विचारधारा और सामाजिक संरचना बहुत बड़े कारण है। इस देश की महिलाओं के पीछे हमारी एक जमी-जमाई धारणा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारी इस धारणा में कोई अन्तर नहीं आया है। भारतीय समाज में सभी महिलाएँ एक ही लिंग की होने के कारण समान नहीं है। महिला होकर भी एक महिला दूसरी महिला से भिन्न है। यह भिन्नता सामाजिक विजातयिता है।उच्च वर्ग की महिलाएँ मध्यम वर्ग की महिलाओं से भिन्न होती है और दोनों वर्गो की महिलाएँ निम्न वर्ग की महिलाओं से भिन्न होती है। जाति की सोपानिकता से देखे तो कुछ महिलाएँ बड़े घर एवं ऊंची

ISBN : 978-81951728-5-6

जातियों की है, पॉच सितारा होटल में जाने वाली है, मोटरकार ओर दुपहिया चलाने वाली है और बहुत सी महिलाएँ ऐसी है जो कारखानों खेतो एवं खानों में काम करती है। बीड़ी बनाती है। सिलाई करती है, साग-सब्जी बेचकर अपना गुजारा करती है। वहीं कुछ दहाड़ी मजदूर है घरों आदि में झाड़ू पोछा एवं बर्तन साफ करती है तथा भवन निर्माण के कार्यो में रेजा (मजदूर) के रूप में कार्य किया करती ह,ै जिनमें दलित वर्गो की महिलाएँ अधिक होती है।

भारतीय समाज में महिलाओं की विविधताएं अनन्य है और महिला नाम पर सभी महिलाओं को एक तराजू से तौलना वैज्ञानिक नहीं है। समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का सही सही मूल्यांकन करने से पूर्व इस विविधता को समझना चाहिये। निश्चित रूप से जो समस्याएँ महानगर में रहने वाली महिलाओं की है वे गाँव की महिलाओं की नहीं है और दूसरी और जो समस्याएँ उच्च जाति एवं मध्यम जाति की महिलाओं की है वह दलित जातियों की महिलाओं की नहीं है।2महिला संबंधि अपराधों में यदि घरेलू हिंसा को पृथक कर दिया जाये तो, तथ्य बड़े ही स्पष्ट हो जाते है कि जो अपराध (स्वयं के परिवार से पृथक) दूसरी महिलाओं के साथ होते है। उनमें वे महिलाएँ अधिक पीड़ित होती है जिनकी सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत स्थिति निम्न होती है। जो प्रायः दलित जातियों से संबंधित होती है। अपराधी व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से सबसे आसान एवं सरल शिकार को चुना जाता हैं अपराधी व्यक्ति द्वारा उसी महिला के साथ अपराध किया जाता है जिसके विरोध करने की संभावना सबसे कम होती है या जिसके साथ अपराध करने के बाद सरलता से दण्ड से बचा जा सकता है।

दलित का तात्पर्यः-दलित एक विशुद्ध भारतीय अवधारणा है, जिसका प्रयोग संवैधानिक रूप से परिभाषित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उस समूह से लिया जाता है, जो तथाकथित रूप से उपेक्षा, शोषण और

ISBN : 978-81951728-5-6

उत्पीड़न का शिकार हुआ है। आजकल 'दलित' शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है जिन्हें अमानवीय व्यवहार, अन्याय, भेदभाव, सामाजिक निर्योग्यताओं, सामाजिक प्रताड़ना, राजनीतिक एवं आर्थिक वंचनाओं और असुविधाओं के लम्बे दौर से गुजरना पड़ा है। 'दलित वर्ग' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1920-30 के आस-पास हुआ, किंतु 1973 के बाद यह एक जनसामान्य शब्द बन गया। दलित से यहाँ आशय उन लोगों से है जो संविधान की धारा -341 (1) तथा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं।[3]

दलित महिलाओं की स्थितिः-

यह अत्यंत चिंताजनक विषय है, हमारे देश में स्त्री जाति का संबंध समाज के एक ऐसे वर्ग या समुदाय से है। जिसकी दशा उनकी सामाजिक कुरीतियों एवं अपराधों के कारण अत्याधिक दयनीय बन चुकी है। बहुधा महिलाओं को पुरूषों द्वारा कारित किये जाने वाले अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। दलित के रूप में दलित जाति की महिलाओं को अपने समुदाय के विरूद्ध अत्याचारों के तव्रितम प्रहार को सहना पड़ता है। वर्तमान समय में दलित महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों की संख्या में वृद्धि की सामान्य प्रवृप्ति देखी गई है जो ऊँची जातियों के क्रोध एवं प्रबल रोष का लक्ष्य बन जाती है। दलितों पर होने वाले अपराध मुख्यतः महिलाओं के विरूद्ध होने वाले यौन अपराध की और तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है वहीं दलित महिलाओं को स्वयं के दलित परिवार द्वारा आरोपित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है यह व्यवहार समाज में दलित महिलाओं के प्रति दयनीय स्थिति को इंगित करता है।4भारतीय समाज में निम्न जाति की महिला को दोहरे शोषण एवं अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। वह अपने दलित परिवार में दलित होती है (घरेलू हिंसा का शिकार होती है) और उच्चजातियों

ISBN : 978-81951728-5-6

के पुरूषों द्वारा बलात्कार, शीलभग, अपहरण, शोषण आदि घटनाओं की भी शिकार होती है। उन्हें दोहर अत्याचार सहना पड़ता है। दलित परिवारों की दीन हीन दलिद्रतापूर्ण स्थितियों के कारण दलित महिलाओं के साथ होनें वाले अपराधों में निरंतर वृद्धि देखी जा रहीं है।

अपराध की शिकार दलित महिलाएँः-

दलित महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधें की प्रकृति बाध्यता मूलक होती है, चाहे उसका स्वरूप् भेदभाव जनित हो, शोषण मूलक हो अथवा उत्पीड़नात्मक इसमें दबे या खुले रूप में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपराधी व्यक्ति की समाज में स्थिति अपेक्षतः अच्छी होती है। सामान्यतः अपराध शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपने हितो चोट पहँुचाने वालों को दबाने के लिए किये जाते है। दबाव की मात्रा प्रकृति एवं स्वरूप में समय स्थान एवं सन्दर्भ (अच्याचार व पीड़ित व्यक्ति अथवा समूहों की संख्या, शक्ति तथा स्थानीय पुलिस एवं शासन की तत्परता व कार्य क्षमता) के अनुसार भिन्नता हो सकती है। इस प्रकार अपराध उच्च व शक्ति सम्पन्न वर्गो द्वारा समाज के आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से दलित वर्गो (कमजोर वर्गो) जो अपनी सुरक्षा करने में आस्मर्थ होते है के विरूद्ध किए गए अपराधों को शामिल किया जाता है।[5]

महिलाएं किसी भी अपराध की शिकार हो सकती हैं, चाहे ठगी की, कत्ल की, या डकैती, आदि की। परन्तु वे अपराध जिनकी केवल महिलाएं ही शिकार हों या जो केवल महिलाओं के प्रति ही होते हैं, उन्हें "महिलाओं के प्रति अपराध" कहा जाता है। विस्तृत रूप से महिलाओं के प्रति अपराधों को दो श्रेणियों में बाँटा जाता हैः (1) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध इसमें 6 प्रकार के अपराध सम्मिलित हैंः(प) बलात्कार (पप) अपहरण एवं भगा ले जाना (पपप) दहेज के कारण हत्या (पअ) शारीरिक एवं

ISBN : 978-81951728-5-6

मानसिक उत्पीड़न अथवा पत्नी को पीटना (अ) शारीरिक छेड़छाड़ और (अप) चिढ़ाना (2) स्थानीय एवं विशेष विधानों के अन्तर्गत अपराध इसमें चार प्रकार के अपराध सम्मिलित हैंः (प) अनैतिक अवैधपन(1978 अधिनियम), (पप) दहेज मांगना (1961 अधिनियम), (पपप) सती होने के लिए बाध्य करना (1987 अधिनियम) और (पअ) महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (1986 अधिनियम)।यहां महिलाओं के प्रति हिंसा की अवधारणा को स्पष्ट करना भी आवाश्यक है। यदि हम कहें कि "हिंसा वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निदा की जाती हो" या "जो नियमाचारी समूहों के व्यवहार संबंधी मानदण्डों से विचलन हो" तब महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है संकुचित अर्थ में, 'हिंसा' शब्द का प्रयोग 'एक व्यक्ति को आहत करना तथा चोट पहुंचाना या शारीरिक रूप से घायल करना है' या "नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से जानबूझ कर किया गया आघात किन्तु वास्तविक चोट न पहुंचाई हो" या "ऐसे कार्य जिनसे शारीरिक आघात तो न पहुंचा हो किन्तु उनसे मौखिक आघात या मानसिक तनाव तथा कष्ट होता हो"। मेगार्गी ने हिंसा की परिभाषा इस प्रकार की हैः "ऐसा कार्य जो जानबूझ कर, धमका कर या बलपूर्वक किया गया हो जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को आघात पहुंचा हो व उसका विनाश हुआ हो, या उसके सम्मान को ठेस लगी हो"।6दलित महिलाओं पर होने वाले अपराधों की सूची बहुत लम्बी है और अपराधों के स्वरूप अनेक है। विस्तृत अर्थ में अपराध से यहाँ आशय सभी प्रकार के अन्याय, शोषण, पीड़ा एवं त्रास से है, जो समाज में कमजोर वर्गो को अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते है, पर ढ़ाए जाते है। इनमें निंदा गाली, धमकी तथा सामाजिक बहिष्कार, भूमि पर कब्जा न देना तथा शारीरिक क्षति पहुँचाना जैसे मारना आदि शामिल है। किन्तु विश्लेषण में सहूलियत की दृष्टि से सरकारी अभिलेखों में दलित के विरूद्ध साधारण

ISBN : 978-81951728-5-6

प्रकृति के अपराधों को अस्पृश्यता व अन्य अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। अपराध की श्रेणी में हत्या, बलात्कार, आगजनी, दंगा, शीलभंग तथा हिंसा जैसे गम्भीर अपराधों को शामिल किया जाता है।7

चैधरी, जितेन्द्र कुमार एवं रेणुका लारिया (2015)8 द्वारा 'दलित महिलाओं के प्रति बढ़ता अत्याचार एवं संरक्षण के कानूनी प्रावधान' विषय पर जबलपुर जिले के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में सन् 2000 से 2010 तक कि पंजीबद्ध 301 पीड़ित दलित महिलाओं में से 75 (24ण्91ः) चयनित दलित महिलाओं का शोधपूर्ण अध्ययन किया गया। जिसमें 1.67ः हत्या 1.99ः हत्या के प्रयास, 1.33ः बलबा, 34.88ः बलात्कार 36.87ः शीलभंग, 2.99ः अपरहरण एवं 19.44ः मारपीट/चोट की शिकार दलित महिलाएँ थी।

जबलपुर जिला से संबंधित (2000-2010)

दलित महिलाओं पर अत्याचार की अपराधबार स्थिति

हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल
5	6	4	105	111	9	60	301
1.67%	1.99%	1.33%	34.88%	36.87%	2.99%	19.44%	100

द्वितीयक स्त्रोत से प्राप्त सूचना- जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ मे ंदर्ज रिपोर्ट के अनुसार

उपरोक्त तालिका अत्याचार की अपराधवार स्थिति को प्रकट करती है। जिसमें दलित महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, चोट, जातिगत अपमान, बलवा, बलात्कार, शीलभंग, अपहरण जैसे अपराध सम्मिलित है। जिसमें सर्वाधिक बलात्कार 34.88 प्रतिशत एवं शीलभंग

ISBN : 978-81951728-5-6

36.97 प्रतिशत पीड़ित है, जबकि अन्य तरह के अपराधों की संख्या कम है। अधिकांश अत्याचार दलित महिलाओं के प्रति यौन संबंध पर आधारित है।

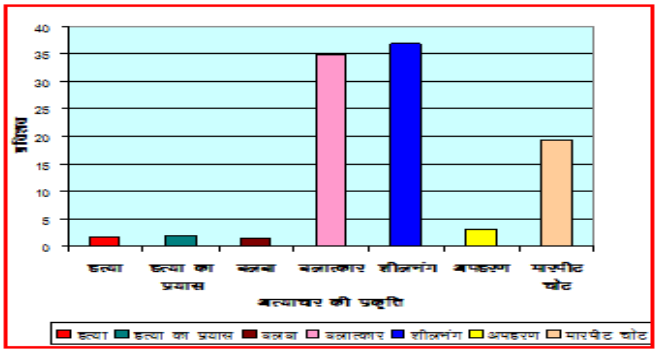

अध्ययन में मुख्य रूप से दो उद्देश्य निर्धारित किये गए जिनमें प्रथम अत्याचार से पीड़ित दलित महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना एवं द्वितीय अत्याचार की प्रकृति के आधार पर पीड़ित दलित महिलाओं की संख्या एवं जाति का पता लगाना जिसके लिए तीन कार्यकारी उपकल्पना का निर्माण किया गया। 1. तुलनात्मक रूप से निर्धन परिवारों की दलित महिलाओं के अत्याचार से पीड़ित होने की संभावना अधिक पाई जाती है। 2. विवाहितों की तुलना में अविवाहितों के अत्याचार से पीड़ित होने की दर अधिक पाई जाती है। 3.उच्च शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित एवं कम शिक्षित अत्याचार से अधिक पीड़ित पाई जाती है। अध्ययन में ये तीनों उपकल्पनाएँ वैध पाई गई है।

तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि पीड़ित महिलाओं में सर्वाधिक 74.66ः महिलाओं के परिवार की मासिक आय 6000 रूपयें से कम रहीं है। इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय मजदूरी, गैर सरकारी सेवा, जातिगत व्यवसाय एवं कृषि से संबंधित कम आमदानी वाला रहा है पीड़ितों

ISBN : 978-81951728-5-6

में 62.67ः अविवाहित थी वहीं पीड़ित महिलाओं में कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ थी जिनमें निरक्षण 17.33ः, साक्षर 14.66ः, प्राथमिक 26.66ः, माध्यमिक 219.34ः तथा हाईस्कूल 12ः की पीड़ित महिलाएँ थी। आयु के आधार पर 18 वर्ष तक की सर्वाधिक 41.34ः पीड़ित महिलाएँ रही है वहीं जाति के अधार पर सर्वाधिक 41.33ः महिलाएँ चमार जाति की देखी गई। तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि वाले पीड़ितों की तुलना में निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के पीड़ितों पर अत्याचार की घटनाएँ अधिक होती है। वही उच्च शिक्षितों की तुलना में कम शिक्षित एवं अशिक्षित अत्याचार से अधिक पीड़ित पाये जाते है। वहीं निम्न आयु की दलित महिलाएं अधिक अनुपात में पीड़ित दिखाई देती है, अत्याचार का 80 प्रतिशत 12 से 36 वर्ष तक की आयु के मध्य अधिक पाया जाता है। पीड़ितों में चमार जाति की संख्या सर्वाधिक है, जो सभी तरह के अत्याचारों की घटना से पीड़ित पाई गई, जिसमें सर्वाधिक बलात्कार और शीलभंग की घटनाएँ पाई गई।

शोध में कुछ सुझाब एवं निष्कर्ष निम्नलिखित हैं-

1. न्यायालय द्वारा पीड़ित दलितों के मामलों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए एवं न्यायायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
2. अत्याचार से पीड़ित दलितों को प्राप्त होने वाली राहत राशि को उन्हें शीघ्र एवं सुनिश्चित राशि प्रदान की जानी चाहिए।
3. पुलिस द्वारा घटना स्थल का उचित निरीक्षण करना चाहिए, तथा घटना स्थल पर शीघ्रता से पहुचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. डॉक्टरी परीक्षण एवं परीक्षण रिपोर्ट में शुद्धता एवं पारदर्शिता होना चाहिए।

ISBN : 978-81951728-5-6

5. शासन द्वारा पीड़ित पक्ष में मुकदमें की पैरवी कर रहे, वकील द्वारा पीड़ित महिलाओं से घटना की पूर्ण जानकारी सुनने एवं गंभीरतापूर्ण उसे समझना तथा उस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि वकील द्वारा ही सही तथ्यों एवं साक्ष्य को उपस्थित न करने के कारण ही पीड़ितों को उचित न्याय प्राप्त नहीं हो पाता।

शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है, कि जो महिलाएं गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा अत्याचार का शिकार होती है, उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती वे अत्यंत निर्धन तथा अशिक्षित या कम शिक्षित होती है तथा कम आयु समूह की अधिक होती है, शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में दलित महिलाओं पर अत्याचार निरंतर होते रहते हैं, तथा महिलाएँ सभी प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित दिखाई देती है, जिसमें सर्वाधिक बलात्कार एवं शीलभंग के मामले सामने आये हैं।वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति होने वाले घटनाओं में निरंतर वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं दलित एवं दलित समुदाय के प्रति होने वाले अत्याचार की घटनाओं के मामलों में पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचारों की तरफ तीव्रता से बढ़ती दिखाई देती है।

भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए प्रावधानः-

प्राचीन काल से वर्तमान काल तक भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होता है कि भारतीय महिला ने बड़े उतार-चढाब देखे है। उसे कई सामाजिक बंधनों, बर्बर अत्याचारों, धर्मशास्त्रों एवं धर्माचार्यो द्वारा खडे किए गये अवरोध झेलते हुए कंटकार्कीण मार्गो से गुजरना पडा है। यहीं नही धर्माचार्यो और धमशास्त्रों की बदौलत

ISBN : 978-81951728-5-6

इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ते समय में भारतीय महिलाएँ गुलामी की बेड़ियों से अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है।9

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारतीय महिलाओं को पतन के गर्त से उबारा है। उन्होनें महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, शोषण एवं अत्याचार के कारणों को जाना और उन्हें दूर करने के प्रयास किए तथा एक राह खोली जिस पर चलकर भारतीय महिलाएं स्वतंत्रता, समानता और सौहार्द के चरम लक्ष्य तक पहुँची महिलाओं के हितों के सम्बर्द्धन के रूप में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू नाबालिग और संरक्षता अधिनियम 1956, हिन्दू-दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954, और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 इन सभी अधिनियमों में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने में योगदान दिया जिससे महिलाओं को खोई हुई क्षमता को पुनः विकसित किया जा सके।

संरक्षण के कानूनी प्रावधान -

1. अनुच्छेद- 14- राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर।
2. अनुच्छेद- 15- लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्धि।
3. अनुच्छेद- 15(3)- महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का अधिकार।
4. अनुच्छेद- 39- आजीविका के समान साधन तथा समान कार्य के लिए समान वेतन।
5. अनुच्छेद- 42- कार्य की न्यायोचित एवं मानवीय दशाएँ तथा प्रसूति सुविधाएँ।
6. अनुच्छेद- 51(ड)- महिलाओं प्रति अपमान-जनक प्रथाओं के त्याग

ISBN : 978-81951728-5-6

का मौलिक दायित्व।

महिला शक्ति सम्पन्नता हेतु विविध कानूनः-महिला विशिष्ट कानून, अनैतिक व्यापार (निवारण), अधिनियम, 1956, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, देहज निषेध अधिनियम 1961, स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध), अधिनियम 1986, सती प्रता (निवारण) अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

आर्थिक कानूनः-कारखाना अधिनियम 1958, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम 1976

संरक्षण कानूनः-दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के संगत उपबन्ध, विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम 1923, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994

सामाजिक कानूनः-कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, भारतीय उत्तराधिकार समापन अधिनियम 1925, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल-विवाह अवरोध अधिनियम 1929, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (वर्ष 2005 में संशोधन), भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 196910अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग नियमित रूप से रिपोर्ट देता रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रहीं है अधिकतर अनुसूचित जााति की महिलाएँ उच्च जाति के पुरूषों के द्वारा किये गए बलात्कार का शिकार होती है।11

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. अहूजा, राम,(2013), सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन,

ISBN : 978-81951728-5-6

नईदिल्ली, पृ. सं. 238।

2. *दोषी, एस.एल. एवं पी.सी. जैन (2002) भारतीय समाजः संरचना और परिवर्तन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली पृ. सं. 322,323*
3. *रावत हरिकृष्ण,(2008): 'उच्चतर समाजशास्त्र विश्वकोश' रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ.स. 102*
4. *अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण रिपोर्ट, 2004, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।*
5. *सिंह रामगोपाल,(1998) भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ.स. 116*
6. *अहूजा, राम, एवं मुकेश अहूजा (2013), विवेचनात्मक अपराध शास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. सं. 239*
7. *सिंह रामगोपाल,(1998) भारतीय दलित समस्याएँ एवं समाधान, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ.स. 115,116*
8. *चैधरी, जितेन्द्र कुमार एवं रेणुका लारिया,(2015) दलित महिलाओं के प्रति बढ़ता अत्याचार एवं संरक्षण के कानूनी प्रावधान, पीरियोडिक रिसर्च, वाल्यूम प्प्, ईश्यू पअ, कानपुर(उ.प्र.) पृ.सं. 207-211*
9. *मेघवाल, कुसुम,(2010) भारतीय नारी के उद्धारक बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, पृ. सं. 13*
10. *योजना, अक्टूबर-2006, पृष्ठ 19,41*
11. *अहूजा, राम,(2012), भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, नईदिल्ली, पृ. सं. 330*